भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1397
जिसका उत्तर गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत नामों को हटाया जाना

1397 श्रीमती राजाथी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं पर गौर किया है ;

(ख) क्या सरकार ने मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नामों को हटाए जाने, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मतदाताओं के नामों को हटाए जाने की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार नामों को हटाने के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की राज्य-वार और समुदाय-वार संख्या कितनी-कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): यह संज्ञान में आया है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल राज्य में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के नेतृत्व में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचक नामावली से बड़े पैमाने पर नामों को हटाने पर बल दिया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और निर्वाचनों के संचालन के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। पूर्व में एसआईआर की प्रक्रिया ईसीआई द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर आयोजित करने के लिए ईसीआई की शक्ति को विधिमान्य ठहराया है। पिछले कुछ वर्ष में तेजी से शहरीकरण, शिक्षा या रोजगार के लिए प्रवासन और अन्य सामाजिक-

आर्थिक परिवर्तनों के कारण निवास में बार-बार परिवर्तन हुआ है। कई निर्वाचक एक नए निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण करते हैं और उनके नाम पूर्ववर्ती निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में भी बने रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोहरी अथवा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए, किसी भी समूह या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करके एसआईआर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, ईसीआई ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि वह एसआईआर के प्रत्येक चरण में आंतरिक गुणवत्ता जांच करता है, जिसमें पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से बीएलओ प्रगणन का प्रति-सत्यापन, हटाई गई प्रविष्टियों की यादृच्छिक नमूना संपरीक्षा और राजनीतिक दलों और निर्वाचकों द्वारा जांच को सक्षम करने के लिए प्रारूप और अंतिम नामावली का लोक प्रकटीकरण शामिल है। दावों और आक्षेपों की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और जहां विधिमान्य पाई जाती है, नामावली को अंतिम रूप देने से पहले समुचित कार्रवाई की जाती है।

निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप देने के पश्चात भी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अनुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और तत्पश्चात संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकती है।

****